कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ–ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक / 201 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2026 रायपुर, दिनांक 28/01/2026

// प्रवेश वर्ष 2025 छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा स्नातकोत्तर (MD/MS) पाठ्यक्रम की राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु प्रथम एव द्वितीय चरण की संयुक्त कॉउंसिलिंग आवंटन सूचना//

आज दिनांक 28.01.2026 को छत्तीसगढ़ के राज्य कोटे की चिकित्सा स्नातकोत्तर सीटों (MD/MS) की संयुक्त काउंसिलिंग की आवंटन सूची जारी की गई है। इस चरण की काउंसिलिंग के अंतर्गत स्क्रूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया निम्न समय–सारणी के अनुसार आयोजित की जाएगी : –

स्क्रूटनी एवं प्रवेश हेतु समय–सारणी :–

क्र.	प्रक्रिया का विवरण	दिनांक एवं समय
1	स्क्रुटनी एवं प्रवेश की प्रारंभ तिथि (Physical Mode/Offline Mode)	**दिनांक 29 जनवरी 2026, समय** Server Time 11:00 Hrs (11:00 AM) से
2	स्क्रुटनी की अंतिम तिथि (Physical Mode/Offline Mode)	**दिनांक 02 फरवरी 2026, समय** Server Time 16:00 Hrs (04:00 PM) तक *(सभी अवकाश दिवस कार्य दिवस है)
3	आबंटित संस्था में प्रवेश की अंतिम तिथि (Physical Mode/Offline Mode)	**दिनांक 02 फरवरी 2026, समय** Server Time 17:00 Hrs (05:00 PM) तक *(सभी अवकाश दिवस कार्य दिवस है)

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों – ***सभी संबंधित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के आवंटित अभ्यर्थियों की स्कूटनी एवं प्रवेश प्रकिया आवंटित संस्था में सम्पन्न की जावेगी।***

निजी चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु स्कूटनी सेंटर

क्र0	निजी संस्था का नाम	शासकीय संस्था (जहाँ पर स्कूटनी एवं प्रवेश प्रकिया किया जाना है)
01	**i) श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेस रायपुर** **ii) रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेस, रायपुर**	***पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर***
02	**i) श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेस, जुनवानी भिलाई**	***चंदुलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर दुर्ग***

संबंधित निजी चिकित्सा महाविद्यालय तदनुसार स्क्रूटनी स्थल पर अपने अधिकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की व्यवस्था कर, प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करायें।

महत्वपूर्ण निर्देश :–

1. इस चरण की स्क्रूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत यह स्पष्ट किया जाता है कि पूर्ववति काउंसिलिंग प्रक्रिया से प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जिनको आज के आवंटन में समान संस्थान एवं समान विषय आवंटित हुआ है उनके द्वारा पूर्व में स्कूटनी एवं प्रवेश की प्रक्रिया हेतु जो आवश्यक दस्तावेज तैयार किए जा चुके थे, वे दस्तावेज इस चरण में भी मान्य रहेंगे। ऐसे अभ्यर्थी को पुनः मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य नहीं होगा एवं उन्हें अपनी पुरानी स्कूटनी एवं प्रवेश रिसीप्ट (Receipt) प्रस्तुत कर प्रवेश स्थल पर उपस्थित होकर नवीन रिसीप्ट जनरेट कराना अनिवार्य होगा।

क्रमशः––2––

2. पूर्ववति काउंसिलिंग प्रक्रिया से प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जिनको आज के आवंटन में समान संस्थान किन्तु समान विषय आवंटित **नहीं** हुआ है उन्हें पुनः मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य नहीं होगा एवं वे अपनी पुरानी स्क्रूटनी एवं प्रवेश रिसीप्ट (Receipt) प्रस्तुत कर प्रवेश स्थल पर उपस्थित होकर नवीन रिसीप्ट जनरेट करा लेवे। पूर्व में दी गई फीस एवं दस्तावेज मान्य होंगे एवं इनके द्वारा अपने प्रवेशित संस्थान में विषय परिवर्तन संबंधित एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3. इस चरण में जिन अभ्यर्थियों को निजी चिकित्सा महाविद्यालय में सीट आवंटित हुई है ऐसे सभी अभ्यर्थी बैंक गारंटी के स्थान पर शपथ पत्र के आधार पर अपने आवंटित संस्था में प्रवेश ले सकेंगे। चूंकि आगामी तृतीय चरण की काउंसिलिंग में अपग्रेडेशन का विकल्प उपलब्ध है। इस चरण की काउंसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थियों को तृतीय चरण काउंसिलिंग के प्रवेश की अंतिम तिथि के पूर्व बैंक गारंटी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि में बैंक गारंटी प्रस्तुत न करने की स्थिति ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा।

4. इस चरण एवं आगामी सभी काउंसिलिंग चरणों में सीट आवंटन के उपरांत यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश नहीं लिया जाता है अथवा प्रवेश लेकर सीट का त्याग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई पंजीयन राशि राजसात (Forfeit) कर ली जाएगी।

5. इस चरण की काउंसिलिंग में सभी आवंटित अभ्यर्थियों को यह सुविधा प्रदान की जाती है कि वे अपने आवंटित महाविद्यालय का शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) RTGS, NEFT, नेट बैंकिंग तथा अन्य ऑनलाइन भुगतान विकल्पों के माध्यम से जमा कर सकते हैं। अतः सभी संबंधित संस्था आवंटित अभ्यर्थियों को उपरोक्त भुगतान विकल्प अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6. आगामी काउंसिलिंग, आबंटन एवं अन्य जानकारी हेतु वेबसाईट ***www.cgdme.in*** एवं ***https:// cgdme.admissions. nic.in/*** का नियमित अवलोकन करें।

7. सभी शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों का आवंटन छ0ग0 शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा गठित काउंसिलिंग समिति द्वारा किया जाता है, **अतः किसी व्यक्ति/संस्था के प्रवेश दिलवाने संबंधित धोखे में नहीं फंसे।**

(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

28/1/2026

अध्यक्ष,
चिकित्सा स्नातकोत्तर काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.

पृ. क्रमांक/202/छात्र/काउंसिलिंग/संचिशि/2026 रायपुर, दिनांक 28/01/2026

प्रतिलिपि :– अधिष्ठाता, संबंधित शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय छ0ग0 की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु ई–मेल से प्रेषित।

संबंधित निजी चिकित्सा महाविद्यालय तदनुसार स्क्रूटनी स्थल पर अपने अधिकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की व्यवस्था कर, प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करायें।

28/1/2026

अध्यक्ष,
चिकित्सा स्नातकोत्तर काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.